

**जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद श्रावस्ती को शुद्ध पेयजल से
अच्छादन हेतु दिनांक 02.06.2026 को अपरान्ह 3:00 बजे
आयोजित बैठक की कार्यवृत्त**

जिलाधिकारी महोदया की अध्यक्षता में दिनांक 02.06.2026 को आयोजित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति" की बैठक में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद श्रावस्ती में फेज-2 में मेसर्स L&T एवं फेज-5 के अन्तर्गत मेसर्स GA INFRA (JV) – VISHWANATH PROJECT LIMITED द्वारा कराये जा रहे कार्यों की प्रगति हेतु आयोजित बैठक की कार्यवृत्त:-

1. हर घर जल सर्टिफिकेशन:- अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत ऐसे सभी राजस्व ग्राम जिनमें शत-प्रतिशत गृह संयोजन प्रदान/रिपोर्ट किये जा चुके हैं, उन राजस्व ग्रामों को "हर घर जल" सर्टिफाई किया जाना है। वर्तमान में जनपद में 150 राजस्व ग्राम "हर घर जल" रिपोर्टेड के सापेक्ष 33 राजस्व ग्रामों का "हर घर जल" सर्टिफिकेशन लम्बित है। जनपद में कार्यरत फर्मों को निर्देशित किया गया कि 33 नग "हर घर जल" रिपोर्टेड राजस्व ग्रामों में योजना से सम्बन्धित समस्त कार्यों की पूर्णता, जलापूर्ति संचालन एवं वितरण प्रणाली विछाने के दौरान काटी गयी सड़कों के मरम्मत के कार्यों की पूर्णता सुनिश्चित कर, सर्टिफाईड कराना सुनिश्चित करें। अधिशासी जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि 95 नग "हर घर जल" सर्टिफाईड ग्राम पंचायत के सापेक्ष जल निगम की पुरानी परियोजनायें एवं जल जीवन मिशन के अन्तर्गत "हर घर जल" सर्टिफाईड की सूची अधोहस्ताक्षरी को 2 दिवस में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

2. योजनाओं का संचालन एवं रख-रखाव:- अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया है कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद में फेज-2 में मेसर्स लारसेन एण्ड टूबों द्वारा प्रस्तावित 124 नग पाइप पेयजल योजनाओं के सापेक्ष वर्तमान तक 66 नग परियोजनाओं का कार्य 90-100 प्रतिशत कार्य पूर्ण है। जिनमें से 52 नग पाइप पेयजल योजनाओं को अनुरक्षण एवं संचालन में लिया जा चुका है तथा फेज-5 के अन्तर्गत मेसर्स जी.ए.इन्फ्रा वी.पी.एल. (जे.वी.) द्वारा प्रस्तावित 165 नग पाइप पेयजल योजनाओं के सापेक्ष वर्तमान तक 30 नग परियोजनाओं का कार्य 90-100 प्रतिशत कार्य पूर्ण है। जिनमें से 22 नग पाइप पेयजल योजनाओं को संचालन एवं अनुरक्षण में लिया जा चुका है। निर्देशित किया गया है कि उक्त ऐसी सभी परियोजनायें जिनके कार्य 90-100 प्रतिशत तक पूर्ण कर लिये गये हैं, को 15 जून, 2026 तक योजना पर समस्त कार्य पूर्ण कर अनुरक्षण एवं संचालन में ले जाना सुनिश्चित करें, तथा अधिशासी अभियन्ता जल निगम कटौती की संस्तुति कर अधिशासी निदेशक, महोदय को 2 दिवस में पत्र प्रेषित कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे।

3. JJM-2.0 पर सभी ग्राम प्रधानों एवं सचिवों की Onboarding:- अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत 397 नग ग्राम पंचायतों के प्रधानों व सचिवों का <https://egramswaraj.gov.in> के लागिन आई.डी. से JJM-2.0 पर लागिन कर आनबोर्डिंग किया जाना है। जिससे प्रधान व सचिव सम्बन्धित पाइप पेयजल

योजना का निरन्तर अनुश्रवण एवं आकलन कर सके। जिला पंचायतराज अधिकारी को निर्देशित किया गया कि सभी 397 नग ग्राम पंचायतों के प्रधान व सचिव को JJM-2.0 पर लागिन कर आनबोर्डिंग कराना सुनिश्चित करें।

4. जीरो पॉवर्टी अभियान:- अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया है जनपद में जीरो पॉवर्टी अभियान सर्वे के दौरान कुल 5569 परिवारों का सत्यापन कर "हर घर जल" योजना के अन्तर्गत गृह संयोजन प्रदान किया जाना है जिसके सापेक्ष सत्यापन का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है। जिसमें 1135 परिवार पूर्व से आच्छादित हैं तथा 4434 नग वंचित पात्र परिवारों के सापेक्ष वर्तमान तक 119 नग पात्र परिवारों को अभियान के अन्तर्गत कनेक्शन दिये गये हैं। जनपद में कार्यरत फर्म मेसर्स एल.एण्ड.टी. एवं मेसर्स जी.ए.इन्फ्रा वी.पी.एल. को निर्देशित किया गया कि आगामी बैठक से पूर्व 500-500 नग पात्र वंचित परिवारों के कनेक्शन किया जाना सुनिश्चित करें, तथा इस बिन्दु को अधिशासी निदेशक, महोदय के पत्र में सम्मिलित करेंगे।

5. नल जल मित्र :- अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद अन्तर्गत निर्मित पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं रख-रखाव हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायतों से "नल जल मित्र" कार्यक्रम के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों का नामांकन किया जाना है। जनपद में 397 ग्राम पंचायत में 483 नल जल मित्र का चयन किया जाना है जिसके सापेक्ष वर्तमान तक 320 नल जल मित्र का नामांकन किया जा चुका है। जिला पंचायतराज अधिकारी को निर्देशित किया गया कि शेष बचे हेतु ग्राम पंचायत में नल जल मित्र का नामांकन कराना सुनिश्चित करें।

6. जल निगम (ग्रामीण) द्वारा निर्मित परियोजनायें :- अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद में 41 नग परियोजनायें पूर्व निर्मित हैं। जिनमें वर्तमान में 3 नग पूर्ण क्षमता पर, 24 नग परियोजनायें आंशिक क्षमता पर संचालित हैं एवं 14 नग परियोजनायें असंचालित हैं जिनके पूर्णरूप से संचालन एवं रख-रखाव हेतु प्राक्कलन तैयार कर मुख्यालय प्रेषित हैं। निर्देशित किया गया है कि प्राक्कलन स्वीकृत होने के उपरान्त उक्त परियोजनाओं को शीघ्र पूर्ण क्षमता पर संचालित किया जाना सुनिश्चित करें।

7. पेयजल योजनाओं में चोरी/व्यवधान:- अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो की 32 नग एवं मेसर्स जी.ए.इन्फ्रा वी.पी.एल. (जे.वी.) की 38 नग पाइप पेयजल परियोजनाओं पर जल कल परिसर में लगे सोलर पैनल की बैट्री व केबिल की चोरी हो जाने तथा रोड चौड़ीकरण के दौरान पाइप लाइन क्षतिग्रस्त हो जाने के कारणों से परियोजनायें संचालित नहीं हैं। जिसके सापेक्ष एल.एण्ड.टी. द्वारा मात्र 04 नग परियोजनाओं के केबिल मरम्मत का कार्य पूर्ण कराकर संचालित की गयी है। सम्बन्धित कार्यदायी फर्मों को निर्देशित किया गया है कि पाइप पेयजल योजनाओं पर चोरी के मामले से बचाव हेतु गठित अनुबन्ध के नियमानुसार समस्त पाइप पेयजल योजनाओं पर आवश्यक सुरक्षा गार्डों की तैनाती किया जाना सुनिश्चित करें।

अधिशाली अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक माह "जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति" द्वारा आयोजित समीक्षा बैठकों की कार्यवृत्त को JJM पोर्टल पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें साथ ही जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कार्यरत फर्मों को कड़े शब्दों में निर्देशित किया गया कि जिन परियोजनाओं पर वितरण प्रणाली विछायी जाने के दौरान काटी गयी सड़को का मरम्मत का कार्य लम्बित है उन्हें प्राथमिकता पर रखते हुए पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।


मुख्य विकास अधिकारी
श्रावस्ती।

पत्रांक 1292 /जल निगम/जल जीवन मिशन/ 2025-26 कार्य-11 466 दिनांक:- 12/06/26

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिशाली निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग लखनऊ।
2. आयुक्त महोदया, देवीपाटन मण्डल, गोण्डा।
3. जिलाधिकारी महोदया, श्रावस्ती।
4. अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, 30प्र0 जल निगम (ग्रामीण) श्रावस्ती।
5. मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो/मेसर्स (GA NFRA (JV) - VISHWANATH PROJECT LIMITED.)/ मेसर्स VTL.
6. मेसर्स सेन्सियस प्रा.लि. (थर्ड पार्टी इन्पेक्शन)/डी.पी.एम.यू. श्रावस्ती।

मुख्य विकास अधिकारी
श्रावस्ती।